

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष, उज्जैन(म.प्र.)**  
**आदेश**

क्र. .... / दो-12-9 / 23

उज्जैन दिनांक जुलाई

2023

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर का ज्ञापन क्र. सी/3470/दो-15-42/94 दिनांक 26.07.2019 के संलग्न "मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के स्टॉफ संबंधी सेवा एवं भर्ती नियम, 2016" की मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 जून 2019 की कंडिका-33 के आलोक में इस स्थापना पर पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनके द्वारा 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, उनके कार्य की समीक्षा कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निम्न न्यायिक अधिकारियों की छानबीन समिति गठित की जाती है:-

- 01- श्री आर.के.वाणी, अध्यक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।
- 02- श्री सुनिल कुमार, सदस्य, विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज, उज्जैन।
- 03- श्री संजय श्रीवास्तव, सदस्य, पंचम् जिला न्यायाधीश, उज्जैन।
- 04- श्रीमती कीर्ति कश्यप, सदस्य, षष्टम् जिला न्यायाधीश, उज्जैन।
- 05- श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार, सदस्य, प्रथम व्यवहार न्याया.वरिष्ठ खण्ड, उज्जैन।

(आर.के.वाणी)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष,  
उज्जैन, म0प्र0